न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)

राजस्व वाद सं0 32/2023

ग्राम पंचायत तिलोनिया जरिये ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत तिलोनिया

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक 08/02/2023

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा दिनांक 20.01.2023 को एक प्रार्थना पत्र वास्ते राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में भूमि की किस्म परिवर्तन बाबत् पेश किया गया, जो बाद जांच रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् दर्ज रजिस्टर किया गया।

तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि ग्राम तिलोनिया की जमाबन्दी सम्वत् 2066–69 के खाता संख्या 540 में ग्राम तिलोनिया के ख0नं0 1088/766 रकबा 1.6180 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 चरागाह व ख0नं0 766 रकबा 0.5501 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 चरागाह राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट महोदय अजमेर के आदेश क्रमांक 71 दिनांक 07.04.2011 व क्रमांक 234 दिनांक 19.08.2013 द्वारा उक्त भूमि को आबादी प्रयोजनार्थ आरक्षित किया गया है। उक्त आदेश की पालना में नामान्तकरण दर्ज करते समय सहवन से ख0नं0 1088/766 व 766 में किस्म आबादी के स्थान पर गै0मु0 चरागाह दर्ज हो गई। अतः तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा ख0नं0 1088/766 व 766 की सहवहन से दर्ज किस्म "गै0मु0 चरागाह" के स्थान पर किस्म "गै0मु0 आबादी" दर्ज करने की अनुशंषा की गई।

हमारे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया जाकर तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। ग्राम तिलोनिया की जमाबन्दी सम्वत् 2077 के खाता संख्या नया 540 पुराना 507 में ख0नं0 1088/766 रकबा 1.6180 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 चरागाह व ख0नं0 766 रकबा 0.5501 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 चरागाह "ग्राम पंचायत तिलोनिया के आबादी विस्तार हेतु आवंटित हिस्सा पूर्ण आबादी ग्राम पंचायत" अंकन दर्ज है। श्रीमान जिला कलक्टर महोदय अजमेर द्वारा अपने आदेश क्रमांक/एफ.12(सी)/कअ/राजस्व/11/71 दिनांक 07.04.2011 एवं आदेश क्रमांक/कअ/राजस्व/एफ.12(सी)/13/234 दिनांक 19.08.2013 द्वारा चरागाह से खारिज कर सिवायचक में परिवर्तित करने एवं सिवायचक में परिवर्तित भूमि को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के अन्तर्गत संबंधित ग्राम पंचायत हेतु आबादी प्रयोजनार्थ आरक्षित करने के आदेश जारी किये गये है। अतः प्रकरण में श्रीमान जिला कलक्टर महोदय अजमेर द्वारा पारित आदेश क्रमांक/एफ.12(सी)/कअ/राजस्व/11/71 दिनांक 07.04.2011 एवं आदेश क्रमांक/कअ/राजस्व/एफ.12(सी)/13/234 दिनांक 19.08.2013 में प्रदत्त निर्देशानुसार तहसीलदार किशनगढ़ को उनकी अनुशंषा अनुसार किस्म परिवर्तित करने बाबत् नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु आदेश जारी किया जाता है।

आदेश मैरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 08/02/23...... को सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(परसाराम)
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)